



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03032022-233818
CG-DL-E-03032022-233818

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 115]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 2, 2022/फाल्गुन 11, 1943

No. 115]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 2, 2022/PHALGUNA 11, 1943

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 2022

फा. सं.-आरसीडी-10002/1/2022-रेगुलेटरी-एफएसएसएआई.—खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 10 की उप-धारा 5 के साथ पठित धारा 37 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण 15 जून, 2021 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में प्रकाशित मूल अधिसूचना में संशोधन कर एतद्वारा स्वास्थ्य सेवा महानिर्देशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के निम्न अधिकारियों को खाद्य संरक्षा अधिकारी के रूप में उनके नाम के सम्मुख उल्लेखित क्षेत्र के लिए इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से अधिसूचित करता है:-

1. तालिका में, 'पदनाम' से संबंधित स्तंभ 3 को विलोपित किया जाएगा;
2. तालिका में, क्रम संख्या 16 के पश्चात सम्बंधित स्तंभों में निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	अधिकार क्षेत्र
"17	डा. बिजनापद साहू	भुवनेश्वर हवाई अड्डा
18	डा. आर. एन. पनीगढ़ी	पारादीप बंदरगाह

अरुण सिंघल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

[विज्ञापन-III/4/असा./668/2021-22]

टिप्पण- मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में फा. सं. 1(100) 2015/सीएल-पोर्ट/एअरपोर्ट/एएनएफ/भाखासंमाप्रा, तारीख 15 जून, 2021 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA
NOTIFICATION

New Delhi, the 28th February, 2022

F. No. RCD-10002/1/2022-Regulatory-FSSAI.—In exercise of the powers conferred under Sub-Section 5 of Section 10 read with Section 37 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), the Food Safety and Standards Authority of India hereby notifies the following officers of Directorate General of Health Services, Ministry of Health & Family Welfare, as Food Safety Officers for the area as mentioned against his /her name with effect from the date of publication of this notification by amending the principal notification, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 dated the 15th June 2021:-

1. In the table, column 3 related to 'designation' shall be omitted.
2. In the table, after serial number 16, the following entries shall be inserted in the respective columns, namely: -

S.No.	Name of Officers	Area of jurisdiction
17.	Dr. Bijnapad Sahoo	Bhubneshwar Airport
18.	Dr. R. N. Panigarhi	Paradip Seaport

[ADVT.-III/4/Exty./668/2021-22]

ARUN SINGHAL, Chief Executive Officer

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 vide F. No. 1(100)2015/CL-Port/Airport/Enf/FSSAI, dated the 15th June, 2021.